




न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलज जज                      .....बनाम.....                      मु. सं.</p>
<p>29.01.25</p>	<p>आप पत्रावली पेश हुई वकील उमम पत्र उपस्थित ताकत जबाब व तबकी दिनांक 19.03.2025 को पेश की</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      महवा जिला दौरा                 </p>
<p>19.03.25</p>	<p>आप पत्रावली पेश हुई वकील उमम पत्र उपस्थित ताकत जबाब व तबकी दिनांक 21.03.2025 को पेश की</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      महवा (दौरा)                 </p>
<p>21.03.25</p>	<p>आप पत्रावली पेश हुई वकील वाणी व तदीगण को रुक-रुक कर बाद आप पत्रावली गयी किन्तु उपस्थित नहीं हुये वकील वकील को तबबाग लमम पेश करे के लिए अंतिम अवसर दिये गया किन्तु तबबाग लमम पेश नहीं किया। इतने यह स्पष्ट होता है कि तदीगण अपने वापपत्र के प्रति गंभीर नहीं हैं और चलाय नहीं जाते हैं</p> <p>अतः तदीगण के वाप पत्र अफम पेंडली व अफम हाजरी में खारिज किया जाते हैं। पत्रावली फौजल शुगरा दोकर कद तबकील काविल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">                     आदेश सुनाया गया                        उपखण्ड अधिकारी                      महवा (दौरा)                 </p>